

न्यायालय नीलाम पत्र पदाधिकारी, जरीडीह जिला - बोकारो।

नीलाम पत्र मुकदमा सं० - 34/22-23

बैंक ऑफ इण्डिया लिमिटेड बनाम

सर्टिफिकेट होल्डर

श्री हिरालाल सिंह पिता श्री गुरुन सिंह
अनुसूची - 14 फारम सं० - 563

सर्टिफिकेट डेब्टर

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
07.02.23	प्रबंधक सह अधियानी पदाधिकारी, बैंक ऑफ इण्डिया लिमिटेड के द्वारा देनदार श्री हिरालाल सिंह पिता श्री गुरुन सिंह नाम - हरवीहरी सिंह पी० - जरीडीह जिला - बोकारो जिला बोकारो के विरुद्ध बकाया राशि 17535/- रुपये वसूली हेतु पी०डी०आर० एक्ट के तहत प्रपत्र 2 में अधियाचना पत्र दाखिल किया है। साथ ही कार्ट फी 2104/- रुपया दाखिल किया है। जिसकी विवरणी निम्न है $15431 + 2104 = 17535 = 00$ अधियाचना पत्र परिपूर्ण है। बकाया राशि देनदार से वसूली योग्य है। अतः देनदार को धारा 7 पी०डी०आर० एक्ट के अधीन विधीवत सूचना निर्गत करे। अनिलेख दिनांक 21/02/23 को उपस्थापित करे।	अभिलेख संख्या (1) फॉर्म-1 (2) फॉर्म-2 (3) चेकसिस्ट (4) कोर्ट सर्टिफिकेट
21/02/23	अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख अनुपस्थित/ सुनवाई की अगली तिथि 14/03/23 निर्धारित की जाती है।	नीलाम पत्र पदाधिकारी, जरीडीह।

14.3.2023

अभिलेख उपलब्ध ।

देवदार अनुपस्थित, पुनः नोटिस निर्गत करें ।

अभिलेख दिनांक 14/03 को उपलब्ध करें ।

14/03
निष्ठा पदाधिकारी
जीडीई

22/03/23

अभिलेख उपलब्ध ।

कार्यलय कार्या में चलाया रहने के कारण नोटिस निर्गत नहीं लिया जा सका । पुनः नोटिस निर्गत करने हुए अभिलेख दिनांक 22/03 को उपलब्ध करें ।

22/03
निष्ठा पदाधिकारी
जीडीई

14/06/24

अभिलेख उपलब्ध ।

आरवा प्रक्रांत 0.0.1-जोनायेड ने विधि मता ले
अभिहित कि मता की राशि प्रक्रांत प्रक्रांत हीन मता मता मता
का की गयी है, Certificate holder के अधिकार के आधार पर
Certificate case समाप्त की गयी है ।

14/06/24
निष्ठा पदाधिकारी
जीडीई